भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2453

शुक्रवार, 13 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को सुदृढ़ करना

2453. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनेक केन्द्रीय, राज्य और नगरपालिका अनुमोदन, अंतर-संचालनीयता के बिना अलग-अलग डिजिटल पोर्टलों के माध्यम से संचालित होते हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी अलग-अलग मंजूरियों के कारण नए उद्यमों के संचालन में लगने वाले औसत समय का आकलन किया है;

(ग) क्या सरकार मौजूदा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) को सुदृढ़ करने और उसे पूरी तरह से लेन-देन संबंधी, एंड-टू-एंड नेशनल टेक-सर्विसेज़ सिंगल विंडो में विस्तारित करने का विचार रखती है, जो केन्द्रीय, राज्य और नगरपालिका प्राधिकारियों के अनुमोदनों को एकीकृत करेगा; और

(घ) क्या भारत में एकीकृत, पूर्णतः लेन-देन संबंधी विनियामक अनुमोदन ढांचे को अपनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के बशर प्लेटफॉर्म जैसे वैश्विक मॉडलों की जांच की गई है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): केंद्र और राज्य प्राधिकरण अपने हितधारकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने-अपने डिजिटल पोर्टल संचालित करते हैं। राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) को एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से व्यवसायों को उनके संपूर्ण व्यावसायिक चक्र के दौरान अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने और विभिन्न अनुमोदनों के लिए आवेदन करने आदि की सुविधा मिलती है। इसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के विभिन्न पोर्टलों पर उपलब्ध सेवाओं को एकीकृत किया गया है। अन्य सेवाओं तथा पोर्टलों को भी एनएसडब्ल्यूएस से

एकीकृत करने के प्रयास जारी हैं ताकि निर्बाध प्रोसेसिंग और बेहतर अंतर-संचालनीयता सुनिश्चित की जा सके।

इसके अलावा, 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सिंगल विंडो प्रणाली (एसडब्ल्यूएस) विकसित किए हैं। सिंगल विंडो गाइडबुक में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया गया है कि वे अपने एसडब्ल्यूएस में 80 अनिवार्य और वांछनीय सेवाओं को एकीकृत करें ताकि निवेशकों को एक व्यापक एंड-टु-एंड इंटरफेस प्रदान किया जा सके। अधिकांश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एकीकरण के अग्रिम चरण में पहुंच चुके हैं।

(ग): सरकार, गवर्नमेंट-टु-बिजनेस (जी2बी) अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) को निरंतर सुदृढ़ और उसका विस्तार कर रही है। अधिक से अधिक संख्या में जी2बी सेवाओं को एकीकृत करने और पूर्ण-चक्रीय एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के एकीकरण के प्रयास जारी हैं। यह संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा जी2बी अनुमोदनों की एंड-टु-एंड डिजिटल प्रक्रिया को सुगम बनाता है। इससे मैनुअल हस्तक्षेप कम होता है, पारदर्शिता में सुधार होता है और प्रोसेसिंग में लगने वाला समय कम होता है। वर्तमान में, एनएसडब्ल्यूएस 32 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एकीकृत है, जिससे एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से 300 से अधिक केंद्रीय जी2बी सेवाओं और 3,000 से अधिक राज्य जी2बी सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होती है।

(घ): राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) को डिजाइन करने और इसे तैयार करने की प्रक्रिया में विश्व की सर्वश्रेष्ठ कार्य-पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय सिंगल विंडो मॉडलों को ध्यान में रखा गया है। साथ ही, इस प्रणाली को भारत के विनियामक फ्रेमवर्क और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

*****